कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक

मध्यप्रदेश

क्रमांक/774/स्टांप/05 भोपाल, दिनांक 24/3/05

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,

मध्यप्रदेश

विषयः स्टांपों के विक्रय पर नियंत्रण बावत्।

––0––

उपरोक्त विषयक वित्त वर्ष 2004–05 समाप्ति पर है। 01.04.2005 से मुद्रांक विक्रेताओं के पास लंबित स्टांपों की जानकारी संलग्न प्रारूप–1 में एकत्रित की जावे। उक्त जानकारी की एक प्रति माह अप्रैल में मुख्यालय में आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्तुत की जावे।

2. मध्यप्रदेश स्टांप नियम 1942 के नियम 38 अनुसार पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रयुक्त किए गए, स्टांपों के विवरण की प्रतिलिपि उप–पंजीयक कार्यालय में संधारित सत्यप्रतिलिपि में की जाती है। समस्त उप–पंजीयकों को निर्देशित किया जाए कि नियम 38 के अन्तर्गत की जाने वाली प्रतिलिपि में स्टांप विक्रेता के क्रमांक के साथ–साथ स्टांपों पर मुद्रांक डिपो नासिक/हैदराबाद एवं जिला कोषालय अधिकारी द्वारा अंकित क्रमांकों की भी प्रतिलिपि दिनांक 01.04.2005 से की जाना सुनिश्चित करें।

3. उप–पंजीयक कार्यालय में दिनांक 01.04.05 से प्रारूप–2 अनुसार एक पंजी. प्रतिलिपि की जाए, जिसमें स्टांपों पर अंकित क्रमांक, कोषालय से स्टांप जारी होने का दिनांक एवं दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने का दिनांक अंकित किया जावे। इस हेतु स्टांपों के दर (डोमीनेशन) वार विवरण हेतु पंजी में पृष्ठ आवंटित किए जावें। जिस दर के स्टांपों का उपयोग बहुतायत में होता है, उन्हें अधिक पृष्ठ आवंटित किए जाएं। जब भी कोषालय/उप–कोषालय से स्टाम्प जारी करने की सूचना प्राप्त हो, उन स्टाम्पों के

क्रमांक के समक्ष कोषालय से जारी होने का दिनांक लिख दें। भविष्य में रजिस्ट्री प्रस्तुत होने पर उस पर लगे स्टांपों के क्रमांकों का मिलान इस पंजी से करें तथा उपयोग में आए स्टाम्प के क्रमांक के आगे रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत करने का दिनांक लिख दें। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि कोई स्टाम्प क्रमांक कोषालय से जारी क्रमांकों की सूची में नहीं पाया जात है अथवा उसका उपयोग पूर्व में दर्ज किसी रजिस्ट्री में होना पाया जाता है तो तत्काल जांच कर कार्यवाही करें, क्योंकि यह फर्जी स्टाम्प का प्रकरण हो सकता है। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

प्रारूप–1

01.04.2005 की स्थिति में स्टांप बेंडर श्री .... के पास उपलब्ध स्टांपों की जानकारी।

क्र	स्टांप का प्रकार	दर	शेष बचे स्टांपों के क्रमांक	रिमार्क
1	2	3	4	5

प्रारूप–2

स्टांप का क्रमांक	कोषालय से जारी होने का दिनांक	रजिस्ट्री प्रस्तुति दिनांक	स्टांप का क्रमांक	कोषालय से जारी होने का दिनांक	रजिस्ट्री प्रस्तुति दिनांक
1	2	3	4	5	6